न्यायालय मुन्सिफ
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, सोनपुर, सारण।

उपस्थित—नज़ीम अहमद, मुन्सिफ, सोनपुर, सारण।

स्वत्व वाद संख्या : 30/2018

सम्पत साह...वादी।

बनाम

अवधेश सिंह एवं अन्य..............प्रतिवादीगण।

आदेश

02.06.2026. वादी पक्ष की ओर से कोई हाजरी/पैरवी नहीं है। बार—बार वाद पुकारा गया, परंतु बार—बार वाद पुकारे जाने पर भी वाद संचालन हेतु वादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हैं। वादी पक्ष विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। वादी पक्ष कि ओर से प्रस्तुत वाद में अंतिम बार दिनांक—19.04.2025 को हाजरी दी गई थी तब से वादी पक्ष लगातार अनुपस्थित है तथा उनकी ओर से वाद में कोई हाजरी/पैरवी नहीं दिया जा रहा है। उचित पैरवी करने हेतु कई निर्देश एवं अवसर दिये जाने के पश्चात् वादी पक्ष को वाद में उचित पैरवी करने हेतु दिनांक—26.03.2026 एवं पुनः दिनांक—16.04.2026 को अंतिम अवसर दिया गया था। साथ ही वादी पक्ष को पुनः दिनांक—21.05.2026 को इस निर्देश के साथ वाद में उचित पैरवी करने हेतु पुनः अंतिम अवसर दिया गया था कि अगली तिथि को वादी स्वयं अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में सदेह उपस्थित रहें, अन्यथा उचित आदेश पारित किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों एवं अवसर दिये जाने के पश्चात् भी आज दिनांक—02.06.2026 को वादी पक्ष की ओर से कोई हाजरी/पैरवी नहीं है तथा बार—बार वाद पुकारे जाने पर भी न तो वादी स्वयं और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता वाद के संचालन हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी पक्ष के उक्त व्यवहार से प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद में अब कोई रूचि नहीं रह गई है। अतः न्यायालय में उपस्थित होकर वाद की उचित पैरवी न करने एवं न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण इस वाद को खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

मुन्सिफ,सोनपुर।

Web copy not official